

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 01 / 2024

तारीख रजू :- 2-01-2024

दावा बाबत र्थाई निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2024//1

उनवान

श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी हरदयाल शर्मा जाति जांगिड ब्राहमण निवासी गूडिया हाल निवासी नईमंडी के पीछे हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

---वादी

बनाम

वासुदेव पुत्र रामगिलास वगै० जाति जाट निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

---प्रतिवादीगण 05

दिनांक	फर्द अहकाम
02.01.2024	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री पी.एल.गोयल एडवोकेट के जरिए पेश हुआ. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 29.01.2024 को पेश हो।</p>
	<p>(सुरेश कुमार हरसोलिया) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
	<p>29/1/24 पत्रावली प्रस्तुत आज बार फ्लोरिडेशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अतः पत्रावली पूर्णतः अनुसार दिनांक..... को पेश हो। 2-7-24</p>
13 <sup>2</sup> / <sub>24</sub>	<p>पत्रावली आज मिशल तलवी के जांच पत्र पर पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित। वादी व वादी वकील ने बतवत कर दिया कि वादी प्रकरण को नही चलाया जाये। वादी ने प्रकरण रीट्रैक्ट में स्थापित करवाया जाय है। अतः मुकदमा 1/24 को पुष्पादेवी बनाम वासुदेव वगै० रीट्रैक्ट में स्थापित किया जाय है। पत्रावली के अन्त अन्त देकर अन्त से समधी।</p>
	<p>उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी ( करौली )</p>

व. पुष्पादेवी  
Ld.  
Dy.  
Jagdish  
(Kariyashah)  
जाट

